न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

35 / 2024

श्री भंवर लाल मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम पोस्ट चान्दसेन ढाढा तह. मालपुरा जिला टोंक

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 24.09.2024

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

ग्राम देशमा के अनुसूचित जनजाति के लोगों को आपके पटवारी द्वारा 20 साल से बंद रास्तों को ग्राम पंचायत देशमा के सरपंच की जमीन तक खोलने के आपने आदेश दिये हैं, तो खोलने की प्रति उपलब्ध करवायें।

उक्त रास्ते को सरपंच के खेत तक खोलने के लिये माननीय कन्हैयालाल जी (मंत्री) का आप पर दबाव है या नहीं, इस तरह की ओर भी कई रास्ते खोले जा रहे है, तो प्रति उपलब्ध करवायें।

ग्राम पंचायत देशमा के गांव देशमा में पुश्तैनी तालाब पर कितने मकान बने हैं और वह रास्ता कितना चौडा है, इंदिरा आवास से बने मकानों की पटवारी से प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।

ग्राम पंचायत देशमा में इंदिरा आवास वर्ष 2023–24 व 25 के तहत कितने मकान बने हैं और उनको पटवारी द्वारा चिन्हित करवाया गया है और उन्हें बनाने से पूर्व पटवारी द्वारा प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा को पत्र कमांक 1072 दिनांक 31.07.2024, 1116 दिनाक 13.08.2024, 1196 दिनाक 27.08.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही

जिला कलेक्टर
टोंक

करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)